न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी दाताराम आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 05/018

तारीख रजू 01.06.2018

1 रामगिलास पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी गुलावपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
2 अमृतलाल पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी गुलावपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
—निगरानीगुजार प्रार्थीगण

बनाम

1 सूरजवाई पत्नि लक्ष्मीपाल जाति राजपूत निवासी इनायती(गुलाव पुरा) तहसील सपोटरा जिला करौली

2 ग्राम पंचायत इनायती जरिये सरपंच ग्राम पंचायत इनायती पंचायत समिति/तहसील सपोटरा जिला करौली

—अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्व आदेश बाबत पट्टा विलेख दिनांक 20.02.2018 जिसके तहत विपक्षी सूरजवाई पत्नि लक्ष्मीपाल को 60 गुण 40 वर्गफिट का पट्टा आबादी का दिया गया है, के विरूद्व

उपस्थिति— 1 श्री अशफाक अहमद वकील निगरानीगुजार
2 श्री श्यामसुन्दर शर्मा वकील अनिगरानीगुजार नं.1
3 श्री सुधाकर शर्मा वकील अनिगरानीगुजार नं.2

निर्णय

दिनांक 22.10.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि निगरानी गुजार की ओर से वकील निगरानी गुजार ने ग्राम पंचायत के पट्टा विलेख दिनांक 20.02.2018 खिलाफ अनिगरानीगुजारान का पेश कर बताया गया है कि ग्राम पंचायत इनायति द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक सूचना जारी नही की गई है ना ही कोई आपत्तियॉ सुनी गई है गुपचुप तरीके से पट्टे जारी किये गये है आवंटी का 50 वर्ष पुराना कब्जा लिखा गया है जो गलत है मौके पर अप्रार्थी नं. 1 का कोई कब्जा नही है। सरपंच अपने लोगो को नाजायज लाभ पहुचाने के लिए जबरन कब्जा कराने के फिराक में है तथा मौके पर नुक्जे अमन का भी अंदेशा है। अप्रार्थी नं. 1 के पास पक्का मकान ग्राम इनायति में मोजूद है जो भरनाकुआ पीपल के पेड़ के पास है तथा पाटोर पौस घर माली पाडा बैरवा पाडे में है ऐसी सुरत मे ग्राम मे भी लाखो रूपये की प्रोपर्टी है अप्रार्थी भूमिहीन नही है सपोटरा मे भी दो मंजिला मकान भी हैं। ग्राम पंचायत इनायति फर्जी पट्टे देने की आदी है। पूर्व मे भी विवादित स्थल के तीन व्यक्तियो रेवड़,चेतराम व केदार को दीये गये थे जिन्हे भी प्रार्थी निगरानीगुजार ने पूर्व की निगरानी माननीय न्यायालय मे निगरानी संख्या 16/11 अमृत बनाम रेवड़मल , 17/2011 अमृत बनाम चेतराम, 15/11 अमृत बनाम केदार के दिनांक 31.05.2012 को निरस्त कराया है अब पुनः हम निगरानी गुजार को नुकसान पहुचाने व ग्रामीण झगडा बडाने के उद्वेश्य से नेरशपाल , सूरजवाई व संग्रामपाल को उसी स्थल के पट्टे दिये गये है जिनका इस भूमि पर कब्जा नही है। मोजूदा सरपंच परिवार का मुखिया भूतपूर्व सरपंच रामचरण प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के 10—15 साल से परेसान किये हुए है तथा झूठे मुकदमे स्वयं व दिगर से कराकर संगीन मुकदमात में फसाने का आदी है। मौके पर निगरानीगुजार की चारदीवारी हो रही है व छप्पर पोस बना हुआ है पत्थर पडे हुए है। जानवर गाय,भैस मवेसी बथती है व चारा व घूडा आदी पडे हुए जो पुस्तेनी कब्जा है। पट्टा गुप्त रूप से दिया गया है। जो गैरकानूनी है। तथा सूरजवाई नरेश पाल जो संग्रामपाल का परिवार है नरेश पाल का भाई लक्ष्मीपाल निगरानीगुजार के भाई अमृत का पेट काटने के केश मे धारा 307 आई.पी.सी. का मुलजिम है

तथा इसी परिवार से भिडाने के लिये पट्टे वाजी फिर शुरू कर दी है तथा दवाव मे राजीनामा का दवाव सरपंच बनाना चाहती है सूरजवाई पत्नि लक्ष्मीपाल व नरेशपाल आपस में एक ही परिवार के है जो सगे खास भाई है व संग्रामपाल पुत्र हजारीलाल पिता है। अप्रार्थी संग्रामपाल धारा 302 आई.पी.सी. मे सजा याफ्ता तथा अपील माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे चल रही है विवादित पट्टे की जानकारी दिनांक 26.05.2018 को पता चलने पर सचिव ग्राम पंचायत इनायति को दी गई किन्तु वो टालता रहा अंत में विकास अधिकारी सपोटरा को शिकायत करने पर दिनांक 29.05.2018 को नकल प्राप्त की गई। अंत में निगरानीगुजार अंदर म्याद पेश कर निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार फरमाते हुए विवादित पट्टा दिनांक 20.02.2018 वावत सुरजवाई पत्नि लक्ष्मीपाल को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी दर्ज पंजिका कर अनिगरानी गुजारो को तलव करते हुए ग्राम पंचायत इनायती से सम्बंधित पट्टा पत्रावली प्राप्त की गई। जिसमे निगरानी गुजारान की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये। जिसमे निगरानीगुजार की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई।

अभयपक्षकारान अभिभाषकगणो की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं अधिनस्त ग्राम पंचायत इनायती के द्वारा जारी पट्टा पत्रावली का अवलोकन किया ।

वकील निगरानीगुजार ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया है कि विपक्षी के हक में कथाकथित पट्टा 266 वर्गगज का 50 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा का आधार लेकर आवादी भूमि बताते हुए जारी किया गया है जो कानूनन गलत है। पट्टा हेतु जो दर0 हासिल करने हेतु लगाई है उसमे आवादी भूमि का खसरा नं. 193 अंकित भी किया गया है। उसमे पूराने मकान के पट्टे की आवश्यक्ता एवं खुले प्लाट का नक्शा दिया गया है। पंचो ने जो मौका रिपोर्ट दी है उसमे मकान 20 साल पुराना व उसी नक्शे के अनुसार लिख दिया है मौका रिपॉर्ट में कोई खसरा नं. व दिनांक अंकित नही है। पत्रावली हाजा में जो वयान लिखा गया है उसमे मकान का पट्टा लिखा है। पत्रावली में फैसल फार्म दिनांक 20.02.2018 में पट्टा मकान जारी करने की बात पंचो की मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर दी है। ऐसी सूरत से स्पष्ट तोर पर फर्जीयात स्पष्ट होती है पट्टा जिस स्थान का दिया जाना लिखा है वह खुला प्लाट है जिस पर कोई भवन नही है प्रोसीडिंग रजिसर्टड व पत्रावली में आपत्ति नोटिस की कोई प्रति नही लगी है जिससे खास व आम को सूचना होने का आपत्नि को मौका देने का दस्तावेज नही है। नियम 157 (एफ) कानूनन 50 साल से अधिक पुरानी आवादी की इमारतो को नियमन करने का तरीका है जो कि निगरानी जैर बहस में खुली भूमि का पट्टा जारी किया गया है जो आरम्भ से ही शून्य है। 150 वर्गगज से अधिक पट्टा देना गैरकानूनी होता है। मौका रिपोर्ट मातहत अदातल ने नही ली गई है। भूमि पर पट्टेधारी का कोई कब्जा नही है विपक्षी के पास अपना निजि पक्का मकान दीगर स्थान पर मोजूद है नाजायज लाभ उठाकर ये पट्टा लिया है। ग्राम पंचायत इनायती फर्जी पट्टा जारी करने की हमेसा आदी रही है जो पूर्व मे भी इस तरह के पट्टे जारी किये गये थे उन्हे श्रीमान के न्यायालय में निरस्त फरमाये गये है। 50 साल पुराना कब्जा बताया गया है जबकि स्वयं पट्टाधारी की उक्त सूरजवाई की उम्र 38 साल संग्राम की आयु 65 साल व नरेश की आयु 40 साल है जिससे स्पष्ट है कि ये सब कब्जा लिखना फर्जीयात है। निगरानीगुजार का इस भूमि पर पुस्तेनी कब्जा रहा है। सरपंच मोजूदा व इसका परिवार निगरानीगुजार का पीछा काफी समय से करता आ रहा है इसी बजह से गुप्त रूप से नाजायज तोर पर ये पट्टे जारी किये गये है निगारी स्वीकार फरमाई जावे। अपने मौके पर कथनो मे भी यही बाते बताई गई है साथ ही जो पट्टे जारी किये गये है बह भूमि चरागाह है आवादी भूमि नही है। तीनो ही निगरानी एक ही प्रकार ही है। अंत में निगरानी स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

वकील अनिगरानीगुजार ने अपने बहस कथन में निगरानी गुजार द्वारा वेवुनियाद तरीके से निगरानी पेश की गई है दिनांक 12.06.2017 को प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। तथा दिनांक 05.01.2018 को अनापत्ति जारी करने को आदेश दिये गये है। मौका निरीक्षण किया

lej

गया है तथा आपत्ति सुनने के बाद दिनांक 20.02.2018 को पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये है। मौका रिपोर्ट तीन व्यक्तियो के समक्ष देखी गई है। इस भूमि पर नरेशपाल की झोपडी बनी हुई है जिसमे ममेसी ईधन बाउण्ड्री बनी हुई है मौके पर कब्जा है। निगरानीगुजार इस गाव के व्यक्ति नही है। निगरानीगुजार सरपंच से रंजिस रखते है जो निगरीगुजार के पैरा नं. 7 में दर्ज है। सार्वजनिक बैठक में सर्वसम्मति से 16 व्यक्तियो को पट्टे जारी किये हुए है। जिसके नक्शे मे आसपडोस के नाम दर्ज किये हुए है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार (प्रोसीजर फोलो) किया है। किसी प्रकार की कोई गोपनीय नही रखी है मौके पर सूरज की टंकी फरमा एवं मवेसी है। संग्रामसिंह ने तीन पक्के कमरे बना रखे है दासाबंदी वनी हुई है निर्माण पुराना है ऋण लेने हेतु पट्टा लिया गया है अंत निगरानी गुजार की निगरानी खारिज करने का निवेदन किया है।

उभयपक्षकारान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड तथा ग्राम पंचायत इनायती से जारी पट्टा पत्रावली को देखने पर पाया कि ग्राम पंचायत इनायती पंचायत समिति सपोटरा ने अनिगरानी गुजार नम्बर 1 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) तहत पटटा जारी किया गया है इस नियम के तहत जहॉ व्यक्तियो कब्जे की आबादी भूमि मे पुराने गृहहों और वे पंचायत से कोई पटटा जारी करना चाहते हो वे निम्न अनुसार राशि जमा करावे। जिन्हे इसके पश्चात पंचायत द्वारा (प्रारूप 23 क मे) पटटा जारी किया जा सकेगा इस का उपनियम (क) के तहत 50 वर्ष से अधिक पूर्व मे निर्मित मकानो हेतु 100 रूपये एवं उपनियम (ख) इस नियम के लागू होने की तिथी को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकान हेतु 200 रूपये फीस निर्धारित की गई है। उसके आधार पर ही ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी किये जाते है इस प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया है। कि आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत ने अपने पुराने कब्जे के आधार पर आबादी मे पटटा चाहा गया है किन्तु अपने आवेदन पत्र मे मकान कितना पुराना है कोई वर्ष अंकित नही किया गया है ग्राम पंचायत ने यह प्रार्थना पत्र पेश होने पर ग्राम पंचायत द्वारा एक समिति गठित की गई थी जिसमे आवेदक का मकान 20 वर्ष पुराना बताया गया है। जिसकी रिपोर्ट कमेंटी द्वारा दिनांक 5.1.2018 को ग्राम पंचायत को पेश की गई थी ग्राम पचायंत ने गठित कमेंटी के आधार पर 200 रूपये फीस वसूल कर आबेदक को पटटा जारी किया गया है जहा पर ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेंटी ने आवेदक का मकान 20 वर्ष पुराना बताया गया है अर्थात दिनांक 5.1.2018 से 20 वर्ष यानि 1998 होता है। जो पंचायत अधिनियम 1996 दिनांक 30.12.1996 से लागू हुआ है। 1996 से 50 वर्ष पूर्व के आवासो मे जो भी पटटा ग्राम पंचायत जारी करेगी उसकी फीस का निर्धारण उपनियम 157 (i) (ख) मे अंकित किया गया है। इस प्रकरण मे सम्पूर्ण कार्यवाही 20 वर्ष ही पुराना मकान साबित हो रहा है। जिसे इस नियम के लागू होने कि तिथि को 50 वर्षो के दोरान मकान नही माना जा सकता है। ग्राम पंचायत इनायती पंचायत समिति सपोटरा द्वारा राजस्थान पंचायती अधिनियम 1996 के नियम 157 (i) के उपनियमो का अवलोकन नही करते हुये अवैधानिक रूप से यह पटटा जारी किया गया है जो नियम के अनुकुल नही है।

अतः निगरानी गुजार निगरानी खिलाफ अनिगरानी गुजारान स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत इनायती पंचायत समिति सपोटरा जिला करौली द्वारा दिनांक 20.02.2018 को जारी पटटा संख्या 8127 अनिगरानी गुजार श्रीमति सूरजवाई पत्नि लक्ष्मीपाल निवासी इनायती रकवा 266.66 वर्गगज वाके ग्राम इनायती पंचायत समिति सपोटरा का पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (i) के उप नियम (ख) के अनुसार नही होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत इनायती को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर